

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सैथल जिला दौसा राजस्थान

लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण

बनाम

ईश्वरलाल

किरम मुकदमा : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अरथाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर : 38/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.12.2025	<p>अधिवक्ता प्रार्थी श्री ऋद्धि चन्द शर्मा एड. उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण के तलबी नोटिस रजिस्टरर्ड ए0डी0 पेश करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.01.2026 को पेश हों।</p> <p><i>31</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी सैथल</p>	
19/1/2026	<p>आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दौरे पर/बाप द्वारा कार्यस्थगित होने से आलातों पेशी दे गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 30/1/26 को पेश हो</p> <p><i>30/1/26</i></p>	
30/1/26	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता अनुपस्थित ही प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को न्यायालय में बारा-बारा क्रक-क्रककर आवाज दिलाई गई, परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अतः प्रार्थी एवं प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा आदेश 9 नियम 9 के अन्तर्गत अहकाम हाजरी व अहकाम पुरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फिलल सुमा होकर नम्बर से कम हो तथा फर्द वारखिल हो।</p> <p><i>31</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी सैथल</p>	